राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी रिट याचिका संख्या 6/2015

सुरेश चन्द शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक : 10.01.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री अजय कुमार जैन तथा श्री अमित पारीक, अधिवक्ता–याची की ओर से।
श्री बी एन सांदू, अतिरिक्त महाधिवक्ता उपस्थित।

याची अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता और राजस्थान पुलिस नियमों में जन–प्रतिनिधियों (विधायक व संसद सदस्य) के विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों का अनुसंधान सी.आई.डी.(सी.बी.) द्वारा कराये जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं हैं। राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 2.20 से 2.26 के अनुसार इन नियमों में उल्लेखित प्रकरणों के संबंध में ही सी.आई.डी.(सी.बी.) द्वारा अनुसंधान किया जा सकता है। एक विशिष्ठ वर्ग के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अनुसंधान सी.आई.डी.(सी.बी.) द्वारा किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत दिनांक 03.12.86 के परिपत्र के आधार पर उक्त नियमों के प्रावधानों को बदला नहीं जा सकता।

उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि उक्त परिपत्र की आड में आपराधिक प्रवृत्ति के जन–प्रतिनिधियों (विधायक व संसद सदस्य) के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का अनुसंधान लम्बे समय तक लंबित रखने की गर्ज से सी.आई.डी.(सी.बी.) में भेज दिया जाता है। उन्होंने निवेदन किया है कि एक प्रकरण तो वर्ष 1997 से अभी तक लंबित है, जिसके संबंध में राजस्थान पत्रिका में समाचार प्रकाशित हुआ है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए कि जन–प्रतिनिधियों (विधायक व संसद सदस्य) यदि कोई अपराध करते हैं तो कानून के समक्ष सभी समान हैं। एक वर्ग विशेष के आधार पर अपराध का अनुसंधान का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। उन्होंने निवेदन किया है कि प्रत्यर्थीगण से जन–प्रतिनिधियों (विधायक व संसद सदस्य) के विरूद्ध लंबित प्रकरण जिनका अनुसंधान सी.आई.डी.(सी.बी.) में लंबित है, की सूची मंगायी जावे तथा यह भी तथ्य स्पष्ट कराया जावे कि वे प्रकरण कब से

लंबित हैं तथा उनका अनुसंधान क्यों नहीं किया जा रहा है।

विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री बी.एन. सांदू ने निवेदन किया है कि जन–प्रतिनिधियों (विधायक व संसद सदस्य) के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों का अनुसंधान स्थानीय पुलिस द्वारा कराये जाने से स्थानीय पुलिस पर दबाव रहता है। इस कारण लोक–हित में विशेष शाखा से अनुसंधान कराया जाना उचित मानते हुए परिपत्र जारी किया गया है ताकि प्रकरण में निष्पक्ष व स्वच्छ अनुसंधान बिना किसी के प्रभाव के पूरा किया जा सके। उन्होंने निवेदन किया है कि जन–प्रतिनिधियों (विधायक व संसद सदस्य) के विरूद्ध लंबित प्रकरणों की सूची तथा वे कब से लंबित है, इसकी जानकारी न्यायालय के समक्ष रखने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त तथ्य को मध्य नजर रखते हुए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे जन–प्रतिनिधियों (विधायक व संसद सदस्य) के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण जिनका अनुसंधान सी.आई.डी.(सी.बी.) द्वारा किया जा रहा है, की सूची दिनांक 29.01.2018 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 472/2014 पुलिस थाना गांधीनगर, जिला–जयपुर के अनुसंधान की वर्तमान स्थिति तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

प्रकरण दिनांक 29.01.2018 को पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल/50